भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 7/09/2025

भारत सरकार,

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 16 जून, 2025

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

मामला सं. एडी (एसएसआर) - 05/2025

विषय : **चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेस्ड ग्लास वूल के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के निर्णायक समीक्षा जांच - के संबंध में ।**

1. फा. सं. 7/09/2025 मेसर्स यू.पी. ट्विगा फाइबर ग्लास लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे ''नियमावली'' भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से "रोल्स में फेस्ड ग्लास वूल" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या पीयूसी भी कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया है।
2. आवेदक ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने का आरोप लगाया है तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे बढ़ाने का अनुरोध किया है।

क. पूर्ववर्ती जांच की पृष्ठभूमि

3. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच 24.9.2019 को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच शुरूआत अधिसूचना संख्या 6/23/2019-डीजीटीआर के माध्यम से शुरू की गई थी। विस्तृत जांच के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपनी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/23/2019-डीजीटीआर दिनांक 22.12.2020 के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों को अधिसूचना संख्या 14/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 18.3.2021 के माध्यम से लागू किया गया था। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क 17.3.2026 तक वैध है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "रोल में फेल्ड ग्लास वूल" है जिसे फाइबर ग्लास वूल (इन्सुलेशन मटेरियल) या रेजिन बॉन्डेड ग्लास वूल भी कहा जाता है। विचाराधीन उत्पाद भारत में कई रूपों में आयात किया जाता है जैसे रोल, स्लैब, शीट आदि। वर्तमान याचिका विचाराधीन उत्पाद को तब कवर करने की मांग करती है जब उन्हें भारत में रोल में आयात किया जाता है।

5. चूंकि वर्तमान आवेदन एक निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए है, इसलिए पीयूसी का दायरा मूल जांच में यथापरिभाषित के समान रहेगा, जो निम्नानुसार है:

> *"2. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद "रोल में फेल्ड ग्लास वूल" है, जिसे फाइबर ग्लास वूल (इन्सुलेशन मटेरियल) या रेजिन बॉन्डेड ग्लास वूल भी कहा जाता है।*
>
> *3. ग्लास वूल में कंबल और स्लैब/बोर्ड बनाने के लिए बाइंडर के साथ संयुक्त महीन ग्लास फाइबर होते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लास को फाइबराइजिंग मशीन से गुजारना और स्पिनरों से नियंत्रित तरीके से फाइबर को रोटेटिंग स्पिनरों की केन्द्रीय*

क्रिया द्वारा निकालना शामिल है, बाइंडर को एक साथ स्प्रे किया जाता है और फिर रोल, कंबल आदि बनाने के लिए क्योरिंग ओवन से गुजारा जाता है।

4. ग्लास वूल में आम ग्लास बनाने वाले कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिसमें आमतौर पर सिलिका सैंड, सोडा ऐश (सोडियम कार्बोनेट), फेल्डस्पार, डोलोमाइट, चूना पत्थर और बोरेक्स पेंटाहाइड्रेट शामिल होते हैं। उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री में रिसाइकिल ग्लास कललेट और खरीदी गई शीट ग्लास कललेट शामिल हैं। कच्ची सामग्री को बैच मिक्सिंग प्रक्रिया में मिश्रित किया जाता है, उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल फर्नेस/गैस फर्नेस में एक साथ डाला जाता है, जहां इसे लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। धारा को भट्ठी से टैप किया जाता है और फोरहर्थ नामक कंडीशनर में डाला जाता है, जहां कांच को ऐसे तापमान पर लाया जाता है जहां इसे फाइबराइज़ किया जा सकता है।

6. इस उत्पाद का मुख्य उपयोग धातु और कंक्रीट की इमारतों के निर्माण, इमारतों की कूलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ध्वनिक अनुप्रयोग, जहाज निर्माण, रेलवे और ऑटोमोबाइल सहित परिवहन उद्योग में होता है। इस उत्पाद में गैर-दहनशील और अग्नि सुरक्षित गुणों के अलावा बेहतर थर्मल और ध्वनिक प्रदर्शन की अंतर्निहित शक्ति है। इस उत्पाद का उपयोग करके भवन उच्च ऊर्जा दक्षता प्राप्त करती हैं और इस उत्पाद के अनुप्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए बढ़ रहे हैं।

7. संबद्ध उत्पादों को अध्याय शीर्षक 70 "ग्लास और ग्लासवेयर" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तुओं का आयात सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के विभिन्न उप-शीर्षों जैसे 70198000, 70199000, 70199010, 70199090, 7019 1900, 70193900, 70195900 आदि के अंतर्गत किया जा रहा है। किसी भी मामले में, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक उद्देश्यों के लिए है और शुल्क लगाने और संग्रहण के लिए वस्तुओं का विवरण ही मान्य होगा।

8. आवेदक ने उत्पाद के विभिन्न प्रकारों/रूपों के बीच निष्पक्ष तुलना के उद्देश्य से उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) को अपनाने का प्रस्ताव दिया है। आवेदक ने मूल जांच में विचार किए गए अनुसार मोटाई, घनत्व और फेसिंग के प्रकार के आधार पर पीसीएन प्रणाली का प्रस्ताव दिया है। आवेदक द्वारा सुझाई गई पीसीएन पद्धति नीचे दी गई है।

9. प्रस्तावित पीसीएन में, पहले दो अंक उत्पाद के घनत्व (किलोग्राम/मीटर क्यूब में) को दर्शाते हैं, अगले तीन अंक उत्पाद की मोटाई (मिलीमीटर में) को दर्शाते हैं, अगले दो अंक पहले फेसिंग के प्रकार को दर्शाते हैं और अंतिम दो अंक नीचे दिए गए कोड के अनुसार दूसरे फेसिंग के प्रकार को दर्शाते हैं। यदि कोई दूसरा फेसिंग नहीं है, तो हितबद्ध पक्षकार "00" का उपयोग कर सकता है।

10. विभिन्न फेसिंग के लिए कोडिंग निम्नानुसार प्रस्तावित है

फेसिंग के प्रकार	**पीसीएन में संगत संख्या**
एएलजी	01
बीजीसी	02
बीजीटी	03
डीएसएफएसके	04
एफजीटी	05
एफएसके	06
एमपीएफ	07
आर 303 एचडी	08
डब्लूएमपी-50	09
डब्ल्यूएमपी-वीआर	10
डब्ल्यूएमपी-वीआर आर प्लस	11
कोई भी	12
कोई नहीं (केवल दूसरे फेसिंग के मामले में)	00

11. उदाहरण के लिए 12 किलोग्राम/मी3 घनत्व, 100 मिमी मोटाई और एफएसके की पहली फेसिंग तथा दूसरी फेसिंग न होने वाले ग्लास वूल के लिए पीसीएन 12-100-06-00 होगा।

12. वर्तमान जांच के पक्षकार विचाराधीन उत्पाद तथा निम्नलिखित प्रस्तावित पीसीएन (औचित्य साहित),यदि कोई हो तो जांच की शुरूआत की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर दे सकते हैं।

ग. <u>समान वस्तु</u>

13. समान वस्तु के संबंध में नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

14. आवेदक ने अनुरोध किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु के तकनीकी विनिर्देशनों, कार्यों और अंतिम प्रयोगों में कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा, आवेदक ने यह भी दावा किया है कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए उन्हें पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घ. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

15. नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या

आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

16. यह आवेदन मेसर्स यू.पी. ट्विगा फाइबर ग्लास लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक देश में कुल घरेलू उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा रखता है। उन्होंने इस आशय के आवश्यक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किए हैं कि उन्होंने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के अर्थ में याचिकाकर्ता को घरेलू उद्योग माना है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।

ङ. संबद्ध देश

17. मूल जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. था। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए संबद्ध देश मूल जांच के समान ही है।

च. जांच अवधि (पीओआई)

18. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 जनवरी 2024 – 31 दिसंबर 2024 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच अवधि शामिल होगी।

छ. पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना का आधार

i. सामान्य मूल्य

19. आवेदक ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-। के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। इसलिए, आवेदक ने दावा किया है कि उसी के अनुसार, किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमतों या परिकलित मूल्य या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य

देशों में कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रयास किया गया था। तथापि, इसके बारे में कोई सत्यापन योग्य या प्रकाशित साक्ष्य नहीं है। इसलिए, जांच के शुरूआत के प्रयोजनार्थ चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन प्राधिकारी द्वारा भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है।

ii. <u>निर्यात कीमत</u>

20. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के लिए निर्यात कीमत की गणना डीजी सिस्टम के सौदावार आयात आंकड़ों के अनुसार की गई है। चीन जन. गण. के लिए कीमत समायोजनों में समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, कमीशन/व्यापारी के लाभ और गैर-वापसी योग्य वैट के आधार पर दावा किया गया है।

iii. <u>पाटन मार्जिन</u>

21. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि काफी अधिक भी है। इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक हैं, जिससे यह पता चलता है कि चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का निर्यात पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद पाटित कीमतों पर जारी रहा है।

ज. <u>क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभवना और कारणात्मक संबंध</u>

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिकूल कीमत प्रभाव अर्थात कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने का प्रथमदृष्टया साक्ष्य है, जिसके कारण लाभ, नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) और नकदी प्रवाह में कमी आई है। इसके अलावा, आवेदक द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों से भी

प्रथमदृष्टया एडी शुल्क के समाप्त होने पर पाटन और परिणामी क्षति की संभावना का संकेत मिलता है।

झ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत

23. आवेदक या घरेलू उद्योग की ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने / पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने और बढ़ाने की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या इस शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।

ञ. <u>प्रक्रिया</u>

24. समीक्षा में दिनांक 22.12.2020 के अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/23/2019-डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है।

25. नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा पर यथा आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

26. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर ई-

मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

27. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

28. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

30. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की अधिकारिक वैबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ठ. समय सीमा

31. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

32. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें। जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडीडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

ड. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

33. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

34. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

35. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय हो और/या ऐसी अन्य सूचना जिसके सूचना प्रदाता द्वारा के गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता के दावे वाली सूचना के सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

36. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना

अपेक्षित है और गोपनीयता का दावा की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।

37. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषयवस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

38. हितबद्ध पक्षकार अनुरोधों के आवेदन के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं ।

39. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त कारण के विवरण के बिना किए गए किसी गोपनीयता के दावे को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

40. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

41. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

42. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश ई-मेल के जरिए भेज दें ।

ण. असहयोग

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा या बाद में अलग पत्र द्वारा प्रदत्त समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ 16/6/25

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी